न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—65/2018/223 (2018/00065)

1. नूरा पुत्र करीमा,
2. प्रकाश पुत्र करीमा,
3. अर्जुन उर्फ पप्पू पुत्र करीमा,
4. सुबान पुत्र करीमा,

समस्त जाति मेरातान, नि0 ग्राम कानाखेड़ा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. मंगला पुत्र सब्बा,
2. सायर पुत्र कालू,
3. मोहन पुत्र नीरा,
4. नैना पुत्री नीरा,
5. लक्ष्मी पुत्री नीरा,

समस्त जाति मेहरात, नि0 ग्राम कानाखेडा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।
7. उप पंजीयक, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 30.6.2011 अंतर्गत वाद संख्या 37/2011.

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खान, वकील अपीलांटस ।
2. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 5 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 6 व 7.

निर्णय

दिनांकः— 18.10.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष विरूद्ध अपीलांट व अन्य रेस्पो0 के बाबत् वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92—ए व 188 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 राज0भू—राजस्व अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा कानाखेड़ा तहसील मसूदा के हाल खसरा नंबर 787/1 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 का 1/2 हिस्सा, कब्जे काश्त की भूमि है एवं

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता को वादी द्वारा खसरा नंबर 788, 956, 957 की भूमियां दिनांक 12.8.1978 को बेचान की थी किन्तु क्रेता करीमा पुत्र पीरू ने उक्त भूमियों के साथ खसरा नंबर 787/1 की भूमि को भी बेचाननामे में खसरा नंबर 787/1 गैर खातेदारी भूमि को भी सम्मिलित कर लिया एवं अन्य भूमियों का नामांतकरण प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता के नाम खुल गया व खसरा नंबर 787/1 का नहीं खुला एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 7 से 10 ने कार्यवाही कर वर्ष 2008 में नामांतकरण संख्या 953 दिनांक 1.2.2008 को खातेदारी में दर्ज करवाई किन्तु बेचाननामा दिनांक 12.1.1978 में गलत सम्मिलित खसरा नंबर 787/1 के 1/2 हिस्से का नामांतकरण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 (वर्तमान अपीलांट) ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने नाम दर्ज करवा लिया है इसलिये उपरोक्त भूमि बाबत् वादी को खातेदार घोषित किया जावे, राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण की तलब जारी की। अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस लेने से इंकार करने पर अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आगामी पेशी दिनांक 25.5.2011 नियत की गई गई एवं दिनांक 25.5.2011 से वादी की शहादत हेतु दिनांक 10.6.2011 नियत की एवं उसी दिन वादी के शपथ पत्र लिये जाकर बहस सुन ली गई एवं दिनांक 30.6.2011 को वादी का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उपरोक्त वर्णित आराजी जब स्वंय वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण द्वारा अपीलांट के पक्ष में बेचान कर दी थी तो उसके पश्चात् वादी को किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नहीं था कि वह उपरोक्त भूमि के बाबत् खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत कर सके । क्योंकि यदि किसी प्रकार का कोई गलत रजिस्टर्ड दस्तावेज निष्पादित हो गया है तो उसे निरस्त और शून्य घोषित करने का अधिकार केवल सक्षम सिविल न्यायालय को है परन्तु इस प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार करते हुए बेचाननामे को ही प्रभावशून्य घोषित किया है जो किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता है । पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि असल प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की कोई तामील ही नही करवाई गई क्योंकि प्रथम पेशी पर ही लेने से इंकार दर्शाते हुए एकतरफा कार्यवाही कर दी जबकि इस प्रकार की तामील कानूनन सही नहीं मानी जा सकती है क्योंकि प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा कभी भी कोई नोटिस लेने से इंकार नहीं किया गया बल्कि इन नोटिसों पर नोटिस लेने से इंकार की रिपोर्ट गलत एवं मिलीभगती से अंकित की गई है । नोटिसों पर गवाह के नाम लिखे गये है किन्तु उनकी वल्दियत एव ंपते आदि अंकित नहीं किये गये है जिससे भी उक्त रिपोर्ट अपूर्ण होने से मान्य नहीं थी । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि स्वंय वादी मंगला पुत्र सब्बा द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उपरोक्त भूमि के बाबत् दिनांक 12.1.1978 को चुपचाप मेंरी जानकारी के बिना व मुझे

पढ़ाये अंकन करवा लिया और बेचाननामा दिनांक 12.1.1978 पर मेरे हस्ताक्षर करवाकर पंजीयन करवा लिया । जब स्वंय वादी उक्त बेचान को सही मानता है तो फिर उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विक्रय पत्र को शून्य घोषित कर वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांटस को नहीं थी क्योंकि अधी0न्याया0 द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है । इसी भूमि बाबत् एक अन्य वाद प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में दिनांक 24.4.2017 को पेश किया जो विचाराधीन है । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.2.2018 को होने पर दिनांक 22. 2.2018 को नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 28.2.2018 को नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 787/1 रकबा 6–16–00 में वादी मंगला का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 व प्रतिवादी संख्या 8 से 10 के पूर्वज नीरा का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी में अंकित चली आ रही थी । वादग्रस्त आराजी जब वादी के नाम राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी में अंकित थी तब वादी को रकम की आवश्यकता होने पर उसने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 788, 956, 957 के कुछ हिस्सो की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4/अपीलांटस के पूर्वज करीमा वल्द पीरू को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.1.1978 को बेचान की थी किन्तु वादी/रेस्पो0 अनपढ़ होने का प्रतिवादी संख्या 1 से 4/अपीलांटस के पूर्वज ने फायदा उठाते हुए उसने गलत व गैर कानूनी रूप से वादी की गैर खातेदारी की आराजी भी उक्त विक्रय पत्र मे चुपचाप वादी की जानकारी के बिना व बिना उसे पढ़ाये अंकन करवा लिया । बरवक्त बैचान वादग्रस्त आराजी गैर खातेदारी की भूमि थी जिसका विक्रय नहीं किया जा सकता था । इसी कारण अपीलांट के पूर्वज करीमा के वादग्रस्त आराजी का नामांतकरण नहीं खोला गया था एवं न ही अपीलांटस का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त ही रहा है। बहस में यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का नामांतकरण संख्या 1062 दिनांक 22.11.2010 अपीलांट ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर अपने नाम तस्दीक करवा लिया जबकि अन्य आराजियात का नामांतकरण संख्या 80 दिनाक 17.8.1980 को अपीलांटस के पूर्वज के नाम तस्दीक किया गया था । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित

में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 787/1 अपीलांटस के पूर्वज करीमा ने वादी/रेस्पो0 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.1.1978 क्रय की थी । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 787/1 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 में सायर नीरा पि0 कालू, मंगला वल्द सब्बा कौम मेरात सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है । इसी जमाबंदी में नामांतकरण संख्या 953 दिनांक 1.2.2008 के अनुसार गैर खातेदारी से खातेदारी का अंकन किया गया है । अपीलांटस अपने पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 12.1.1978 को होने का कथन करते है अर्थात् विक्रय दिनांक को विक्रेता विवादित आराजियात के खातेदार न होकर गैर खातेदार दर्ज थे जिन्हें विवादित आराजी विक्रय करने का अधिकार नहीं था तथा गैर खातेदारी आराजी के संबंध में किया गया विक्रय पत्र भी प्रारंभ से अवैध एवं प्रभाव शून्य है । कानूनन गैर खातेदारी आराजी का विक्रय नहीं किया जा सकता है । अपीलांटस ने हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजी विक्रय दिनांक को विक्रेता की खातेदारी में दर्ज रही हो । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपनी अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 30.6.2011 यथावत् रखी जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर